पत्र सं0-विधि 4(3)/व्यापार बन्धु / 2021-22/ 604 /वाणिज्य कर ।

कार्यालयः-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषयः- मण्डल/ जिला स्तर पर गठित उद्योग बन्धु/ व्यापार बन्धु की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रसं0-1187/ग्यारह-2-2021-9(19)/17 टी0सी0-2 दि0-22.11.2021(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मण्डल स्तर/ जिला स्तर पर गठित उद्योग बन्धु/ व्यापार बन्धु की बैठकों में उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के संबंधित क्षेत्र के प्रभारी मा0 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को आमंत्रित करने एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही की जाय ।

उक्त के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-क0नि0-2-1298/ग्यारह-2004-9(26)/98 दिनांक-24 मई 2004 के बिन्दु सं0-3 में उल्लिखित है कि "राज्य स्तरीय" "व्यापार बन्धु" के समान जिला स्तर पर "व्यापार बन्धु" का गठन भी इसी सादृश्य पर किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे एवं जिले में तैनात उपायुक्त (प्र0)व्यापार कर/ सहायक आयुक्त संयोजक सचिव होंगे । इसके अतिरिक्त जिन विभागो को राज्य स्तरीय "व्यापार बन्धु" का सदस्य बनाया गया है उन्हीं विभागो के जिले में तैनात प्रभारी अधिकारी, जिला व्यापार बन्धु के सदस्य होंगे। जिला स्तरीय "व्यापार बन्धु" भी विभिन्न व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु किसी भी सम्बन्धित विभाग/ व्यापारी को बैठक में आमंत्रित कर सकता है । जिला स्तर पर गठित उक्त "व्यापार बन्धु" की बैठक प्रत्येक माह जिलाधिकारी द्वारा नियत तिथि एवं स्थान पर होगी ।

अतः शासन के उक्त पत्रसं0-1187/ग्यारह-2-2021-9(19)/17 टी0सी0-2 दि0-22.11.2021 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार मण्डल स्तर/ जिला स्तर पर गठित उद्योग बन्धु/ व्यापार बन्धु की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक आयोजित कराने तथा व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

21/12/2021
(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

संख्या—1187 / ग्यारह—2—2021—9(19) / 17 टी0सी0—2

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राज्य कर अनुभाग—2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2021

विषयः— मण्डल स्तर / जिला स्तर पर गठित उद्योग बन्धु / व्यापार बन्धु की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अ0शा0प0 संख्या—275 / उ0प्र0 व्या0क0 बोर्ड / 2021 दिनांक 02.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मण्डल स्तर / जिला स्तर पर गठित उद्योग बन्धु / व्यापार बन्धु की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक आयोजित करने का कष्ट करें।

3— उक्त बैठकों में उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के संबंधित क्षेत्र के प्रभारी मा0 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को आंमत्रित करने एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—1187(1) / 11—2—2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड।

2— कमिश्नर, वाणिज्य कर को इस आशय से प्रेषित कि जिले / मण्डल स्तर पर उक्त बैठक नियमित रूप से आयोजित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने की कार्यवाही की जाए।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
उप सचिव।

ojhanote and g.o.

JC (V) 26.11.21

ACCT/law 26/XI/21

337(V)

1979